न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– रामचरण तनय रघुनाथ यादव ,

2– पूरन तनय रघुनाथ यादव ,

निबासी ग्राम भैरानोबर , तहसील वल्दबगढ़,जिला टीकमगढ़

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 19-02-16 को प्रस्तुत

...............आवेदकगण

वनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0प्र0 शासन द्वारा अनु0 अधिकारी वल्देवगढ़ म0 प्र0

.....................अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निवेदन है:–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभगीय अधिकारी महोदय वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 79/अपील/2008–09 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18/03/2014 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जिसे प्रस्तुत करने में बिलंब हो गया हैं। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नथुवा नामक व्यक्ति द्वारा एक शिकायत अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के न्यायालय में अंतर्गत धारा 115–116 के तहत प्रस्तुत की थी , कि आवेदकगण द्वारा ग्राम देवरदा खास स्थित भूमि खसरा नंबर 1953/1 रकवा 2.0430 है0 भूमि का पटटा बनावा लिया है। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ6अ/2007–08 पंजीवद्व करके आवेदनपत्र की जांच की गई तथा जोंच में पटटा विधिवत बंटित न पाकर उपरोत वादग्रस्त भूमि पर किया गया आवेदक का बंटन अपने द्वारा पारित आ0 दि0 30/06/2009 को निरस्त कर दिया। जिसकी अपील अपीलार्थीगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय वल्देबगढ़

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 622-II/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-2-16	1— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्याययल अनुविभागीय अधिकार वल्देवगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 79/अपील/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 18/03/2010 के विरूद्व प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र भी प्रस्तुत किया, निगरानी के साथ सूची अनुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किये हैं। 2— आवेदक के अधीवक्ता के तर्क श्रवण किये, उनके तर्कों से सहमत होकर निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि, ग्राम देवरदा खास स्थित भूमि खसरा नंबर 1953/1 रकवा 2,430 हैक्टर का आवेदक को पटटा प्रदान किया गया था, तभी उसका नाम भी नामांतरण पंजी कमांक 01 व 02 दिनांकित 28/09/2003 पर पारित आदेश दिनांक के द्वारा खसरा में दर्ज हो गया था। जो तहसीलदार द्वारा करीब सात साल बाद संहिता की धारा 115—116 के तहत कार्यवाही करके पारित आदेश दिनांक 30/06/2009 के द्वारा आवेदक का नाम निरस्त कर दिया है। जिसके विरूद्व अपील अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की थी जो उनके द्वारा निरस्त कर दी गई।	

(कृ.प.उ.)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

3— अपीलार्थी द्वारा अपनी निगरानी के साथ ग्राम देवरदा खास की नामांतरण पंजी क्रमाक 1 व 2 दिनांकित 28/09/2003 की प्रमाणित प्रतियॉं प्रस्तुत कीं हैं, तथा बर्ष 2004—05 से खसरा की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है, आवेदक का नाम वादभूमि पर छह साल दर्ज रहा। बाद में भूमि का बटांक डालकर खसरा नंबर 1953/1/1 रकवा 1.430 हैक्टर हो गया तथा खसरा नंबर 1953/1/2 रकवा 1.430 हैक्टर हो गया। तहसीलदार को संहिता की धारा 115—116 में एक साल की त्रुटि सुधारने का अधिकार है। माननीय उच्च न्यायायल की डीबी द्वारा 2011 रानि 273, कमला सिंह वनाम शासन में व्यवस्था प्रदान की है कि प्रविष्टियां शुद्व करने के लिये एक साल की परिसीमा पर्याप्त है। अन्य अनेक न्याय दृष्टांतों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था प्रदान की है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों के आधार पर यह निगरानी स्वीकार करके तहसीलदार द्वारा 10/अ6अ/2007—08 में पारित आदेश दिनांक 30/06/2009 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18/03/2010 निरस्त किये जाते हैं । दोनों आदेश निरस्त होने से आवेदक के नाम किया गया अमल दरामद यथावत रहेगा कंप्यूटर अभिलेख में भी नाम दर्ज किया जाबे, प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण द0 द0 हो।

सदस्य